	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 29, बुधवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 20, 2023 *Agrahayana 29, Wednesday , Saka 1945- December 20 , 2023*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2023

संख्या :एफ.8(2)(20)/निर्वा/2018/11668 :–भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 03–करणपुर के लिये मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 19दिसम्बर, 2023

28 अग्रहायण, 1945 (शक)

अधिसूचना

434/राज-वि. सं./2023(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 18 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 434/राज.-वि.स./2023(2) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैं।

राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद स्तम्भ (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि क्रमशः जोडी जाएगीः-

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)		(2)
3	करणपुर	4- नायब तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार, श्रीकरणपुर
		5- उप तहसीलदार, कार्यालय उप तहसील, केसरीसिंहपुर

स्तम्भ 2 में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी राजस्थान राज्य के 03-करणपुर विधानसभा चुनाव, 2024 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

आदेश से,

नवीन कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 19th December, 2023
28 Agrahayana, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/RJ-LA/2023(2):-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act,1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/RJ-LA/2023(2), dated 18th July, 2023 as amended from time to time.

In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Rajasthan, after the existing entry against the item in Column (1), the following corresponding entries shall respectively be added: -

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency		Assistant Returning Officers
1		2
03.	Karanpur	4. NayabTehsildar, Office of the Tehsildar, Srikaranpur
		5. Sub Tehsildar, Office of the Sub-Tehsil, Kesrisinghpur

All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the Elections in the 03-Karanpur, AC of the Rajasthan State.

By Order,

NAVIN KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।